राजस्थान राज-पत्र	Regd. No. RJ. 2777/93 RAJASTHAN GAZETTE
विशेषांक	Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 10, शनिवार, शाके 1919--मई 31, 1997

Jyaistha 10, *Saturday, Saka* 1919– *May* 31, 1997

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

कार्मिक (क-II) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 29, 1997

जी.एस.आर. 35:--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 24 में संशोधन:- नियम 24 के द्वितीय पैरे में अभिव्यक्ति "साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकेगा" और विराम चिन्ह के बीच अभिव्यक्ति, "जैसा कि अनुसूची III, IV, V और VI यथा स्थिति, में निर्दिष्ट है" अंतः स्थापित की जायेगी।

2. अनुसूची II में संशोधन:--(i) क्रम संख्या 2 के सामने स्तम्भ सं. 5 में विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रोनिक्स में स्नातक।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पोलीटेक्नीक संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक तथा भारत

में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा ।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन कम्प्यूटर सोसाइटी आफ इण्डिया द्वारा आयोजित "ओ" स्तर का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम ।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय का स्नातक तथा नेशनल स्टेट काउन्सिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के अधीन आयोजित डाटा प्रिप्रेशन एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर का प्रमाण-पत्र" ।

(ii) क्र. सं. 3 के सामने स्तम्भ सं. 5 में आये शब्द "डाटा एन्ट्री मशीन" को "कम्प्यूटर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. विद्यमान अनुसूची V और VI को निम्न लिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

अनुसूची-V

(नियम 18 देखिए)

कम्प्यूटर आपरेटर प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों का विस्तार

अभ्यर्थी को समस्त प्रश्न पत्रों में बैठना होगा । प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अनुज्ञात अंक एवं समय निम्नानुसार होगा:—

प्रश्न पत्र का नाम	अंक	समय
(i) सूचना प्रोद्योगिकी (कम्प्यूटर) में रुझान परीक्षा और सामान्य समझ	45	1 घंटा
(ii) कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धान्त	45	2 घंटा

प्रश्न पत्र का विस्तार

प्रश्न पत्र-I सूचना प्रोद्योगिकी (कम्प्यूटर) में रुझान परीक्षा और सामान्य समझ

समस्या समाधान, डाटा निर्वचन, डाटा पर्याप्तता, लाजीकल रीजनिंग तथा एनालिटिकल रीजनिंग । भारत एवं राजस्थान से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम, सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में के मुख्य-मुख्य विकास।

प्रश्न पत्र-II कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त

कम्प्यूटरों के विभिन्न संघटकों की परिभाषा और कार्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्टोरेज

की संकल्पनायें । डाटा स्टोरेज मीडिया, इनपुट/आउटपुट युक्तियां तथा इनके कार्य, कम्प्यूटरों का वर्गीकरण तथा संबंधित विशेषताएं, भारत और राजस्थान में कम्प्यूटर पद्धति के स्पेक्ट्रम, डाटा निरूपण ।

प्रोग्रामिंग एड्स की (संकल्पना) और तकनीक एल्गोरीथम, फ्लोचार्टिंग एवं मूलकोश डाटा संरचना की संकल्पना, फाईल संगठन और अनुरक्षण (छंटाई, तलाशी और विलयन इत्यादि) तथा डाटा प्रक्रमण की विभिन्न पद्धतियां, आन लाइन तथा बैच प्रक्रमण पद्धतियों के लिए अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्थाएं।

प्रवर्तन पद्धतियां, निम्न और उच्चतर भाषाएं, सिस्टम और एप्लीकेशन सोफ्टवेयर की विशिष्टताएं, और प्रकार पर्सनल कम्प्यूटरों के लक्षण/विशिष्टताएं, जनरल पैकेजों की विशिष्टताएं जैसे पर्सनल कम्प्यूटर पर शब्द प्रक्रमण, डाटाबेस स्प्रेड शीट इत्यादि। पीसी, प्रवर्तन पद्धति और प्रवर्तन, उपयोगिता सापटवेयर पैकेज, व्यवसाय सोफ्टवेयर पैकेज, टेक्स्ट मैनीपुलेशन, डाटा विश्लेषण, डाटा बेस प्रबन्ध और डास, यूनिक्स एण्ड विन्डोज एन्विरनमेण्ट के अन्तर्गत डेस्क टाप प्रकाशन।

कम्प्यूटर प्रवर्तन—कम्प्यूटर की विभिन्न परिमाणों का संयोजन और संरूपण, विभिन्न हार्डवेयर और सापटवेयर (ओ एस, उपयोगिता और एप्लीकेशन पैकेज) लगाना/हटाना, सामान्य के अन्तर्गत आवश्यक प्रवर्तन, अनुरक्षण हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का समग्र अनुरक्षण, डाटा प्रक्रमण इकाई के लिए हाउस कीपिंग कार्य ।

डाटा एन्ट्री/सत्यापन पद्धतियां, इनपुट डाटा के स्रोत, डाटा संशोधन, डाटा मान्यता के लिए इनपुट/आउटपुट नियंत्रण, गलती का पता लगाना, बैक अप और पुनः स्थापना पद्धतियां ।

सामान्य मार्गदर्शन हेतु टिप्पण:—

1. प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा । प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में दी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण नहीं है ।
2. समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी में या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न पत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी में या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सहज ही सुपाठ्य न हो तो इसके कारण उन कुल अंकों में से, जो उसे अन्यथा प्रोद्भूत होते, कटौती की जायेगी।
4. परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्न पत्रों में शब्दों की सम्यक मितव्ययिता के साथ की गई सुव्यवस्थित, प्रभावी और सही–सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा ।

अनुसूची VI

(नियम 8 देखिए)

डाटा एन्ट्री आपरेटर की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रश्न पत्रों का विस्तार–

प्रश्न पत्र-I और प्रश्न पत्र–II के लिए अनुज्ञात अंक और समय निम्नानुसार होगा:–

प्रश्न पत्र का नाम	अंक	समय
(i) ज्ञान परीक्षा और कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त	45	1 घण्टा
(ii) गति परीक्षा	45	30 मिनट

प्रश्न पत्र-I ज्ञान परीक्षा और कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त

समस्या समाधान, डाटा निर्वचन, डाटा पर्याप्तता, तार्किक रीजनिंग तथा एनालिटिकल रीजनिंग।

कम्प्यूटर के विभिन्न संघटकों की परिभाषा एवं कार्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्टोरेज की संकल्पनाएं, डाटा स्टोरेज मीडिया, इनपुट/आउटपुट युक्तियां तथा इनके कार्य, कम्प्यूटरों का वर्गीकरण तथा संबन्धित विशेषताएं।

आपरेटिंग सिस्टम की संकल्पना, निम्न और उच्च स्तर की भाषाएं, सिस्टम और एप्लीकेशन साफ्टवेयर की विशिष्टताएं और अन्तर।

पर्सनल कम्प्यूटर के लक्षण अथवा विशेषताएं, जनरल पैकेज की विशिष्टताएं जैसे:–पर्सनल कम्प्यूटर पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में शब्द प्रक्रमण डाटा बेस स्प्रेड शीट पी.सी. ऑपरेटिंग सिस्टम तथा आपरेशन। अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में डोस एवं विन्डोस एन्विरनमेंट के अन्तर्गत—डीप प्रकाशन की संकल्पना।

डाटा एन्ट्री/सत्यापन पद्धति, इनपुट डाटा के स्रोत, डाटा संशोधन, डाटा मान्यता के लिए पुनर्प्राप्ति/आउटपुट नियन्त्रण वस्तुओं का पता लगाना, बैकअप और पुनः स्थापना पद्धतियां।

प्रश्न पत्र–II गति परीक्षा

1. कम्प्यूटर मशीन पर द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रकृति की गति परीक्षा ली जावेगी।
2. प्रश्न–I में सभी अभ्यर्थियों को बैठना होगा। गति परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रवर्गवार) की कुल संख्या की तीन गुनी होगी किन्तु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को, जो प्रश्न पत्र–I में एक समान प्रतिशत अंक, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी नियत करे, प्राप्त करते हैं, गति परीक्षा अर्थात प्रश्न पत्र–II के लिए प्रवेश दिया जायेगा, तथापि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र–I में एक रेंज

49 प्रतिशत, और अनुसूचित जाति/अनसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में 36 प्रतिशत जिन्हें निकटतम संख्या अर्थात 16 अंक में पूर्णांकित किया जायगा, से कम नहीं होगा।

सामान्य मार्गदर्शन हेतु टिप्पण :--

1. प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में दी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण नहीं है।
2. समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी में या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न पत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी में या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सहज ही सुपाठ्य न हो तो इसके कारण कुछ अंकों में से, जो उसे अन्यथा प्रोद्भूत होते, कटौती की जायेगी।
4. परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्न पत्रों में शब्दों की सम्यक मितव्ययिता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावी और सही सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।"

(संख्या एफ. 5 (2) कार्मिक क-2/91)

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

सूरजमल केडवाल,

उप शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS
DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 29, 1997

G.S.R. —In exercise of the powers Conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendments in the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992, namely:—

AMENDMENT

In the said rules :

1. *Amendment in rule* 24.—Between the expressions "for an

in terview for a personality test' 'and the full stop "(.)" in para two of rule 24 of the repression "as is referred to in schedule III, IV, V and VI, as the case may be," shall be inserted.

2. *Amendment in Schedule II* :—(i) The existing entry in column No. 5 against S. No. 2 shall be substituted by the following, namely:—

"Graduate with Computer Science or Electronics of a University established by law in India.

OR

3 Years' Dispoma in Computer Applications from a Polytechnic Institution recognised by the Government.

OR

Graduate of a University established by law in India with Diploma in Computer Science/Computer Applications of a University established by law in India or of an Institution recognised by the Government.

OR

Graduate of a University established by law in India with "O" Level Certificate course conducted by the Conmputer Society of India under the control of Department of Electronics, Government of India.

OR

Gradute of a University established by law in India with Data Preparation and Computer Software Certifcate Organised under National/State Council of Vocational Training Scheme."

(ii) The existing words "Data Entry Machines" occuring in column No. 5 against S. No. 3 shall be substituted by "Computers".

3. The existing Schedule V and VI shall be substituted by the following, namely :—

SCHEDULE V

(*See Rule* 18)

Syllabus and scope of papers for the Computer operator's Competitive Examination.

A candidate must appear in all the papers. The marks and time allowed for each Paper shall be as under :—

Name of paper	Marks	Time
(I) Aptitude Test and General Awareness in Information Technology (Computers)	45	1 Hour
(II) Fundamentals of Computers	45	2 Hours

SCOPE OF PAPER

Paper-I Aptitude Test and general Awareness in Information Technology (Computers)

Problem Solving Data Interpretation, Data Suificiency, Logical Reasoning and analytical Reasoning, General Knowledge and Current Affairs relating to India and Rajasthan, Major developments in the field of Information Technology.

Paper-II Fundamentals of Computers

Definition and functions of various components of computers, Primary and Secondary Storage concepts, Data Storage Media, Input/Output devices and their functions, classification of computers and related characteristics, Spectrum of Computer System in India and Rajasthan, Representation of Data.

Concept of Programming aids and techniques–Algorithm, Flowcharting & Pseudocodes. Concept of Data structures, File Organisation & maintenance (Sorting, Searching, Merging etc.) & various Data Processing Methods, Security provisions required for one line and batch processing systems.

Operating Systems, Low and High Level Languages, Characteristics and differences in System and Application Software. Features/Characteristics of Personal Computers, Characteristics of general packages, like word-processing, database, spread sheet etc. on Personal Computers. PC Operating System and Operations, Utility Software Packages, Business Software Packages, Text Manipulation, data Analysis, Data Base Management & Desk Top Publishing under DOS, UNIX & WINDOWS Environment.

Computer Operation-Connecting & configuring various peripherals of Computer, Install/Uninstall different Hardware and Software (OS, Utilities and Application Packages), essential operations under LAN/WAN. Maintenance-Overall maintenance of Hardware and Software, House Keeping work for Data Processing Unit.

Data Entry/Verification methods, sources of input data, Data corrections, input/output control for data validity, error detection, Backup and retrieval methods.

Note for general guidance:—

1. The standard of the paper will be that of a Degree Examination of a University established by law in India. A brief outline of the scope of each paper is given in this Schedule for general guidance of candidates but is not intended to be exhaustive.
2. All papers unless specifically required, shall be answered either in English or in Hindi, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or Partly in English unless specifically allowed to do so.
3. If a candidate's hand-writing is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accuring to him.
4. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all descriptive Papers of the examination.

SCHEDULE VI

(See Rule 18)

Syllabus and scope of papers for the Data Entry Operator's Competitive Examination

The marks and time allowed for Paper-I and Paper-II shall be as mentioned here under : -

Name of Paper	Marks	Time
(I) Apptitude Test and Fundamentals of Computers	45	I Hour
(II) Speed Test	45	30 minutes

SCOPE OF PAPER

Paper-I Apptitude Test and Fundamentals of Computers

Problem Solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and analytical Reasoning.

Definition and functions of various components of computers, Primary and Secondary Storage concepts, Data Storage Media, input/output devices and their functions, claissification of computers and related characteristics.

Concept of Operating Systems, Low and High Level Languages, Characteristics and differences in System and Application Software.

Features/Characteristics iof Personal Computers, Characteristics of general packages like word-processing, database, spread sheet in English as well as Hindi Languages on Personal Computers. PC Operating System and Operations. Concept of Desk Top Publishing under DOS & WINDOWS environment in English as well as Hindi Languages.

Data Entry/Verification methods, sources of input data, Data corrections, input/output control for data validity, error detection, Back up and retrieval methods.

Paper-II Speed Test

1. A speed test of bilingual (Hindi & English) nature will be taken on Computer Machines.
2. All candidates must appear for Paper-I. The number of candidates to be admitted to the speed test will be 3 (Three) times the advertised vacancies (category-wise) but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks in Paper-I as may be fixed by the Appointing Authority will be admitted to the speed test i.e. Paper-II. However, under no circumstances the aforesaid range shall be below 40% marks in Paper-I and in case of SC/ST Candidates shall below 36% Marks rounded off to the nearest number i.e. 16 marks.

Note for general guidance:-

1. The standard of the paper relating to Fundamental of Computers will be that of a Degree Examination of a University established by law in India. A brief outline of the scope of each paper is given in this Schedule for general guidance of candidates but is not intended to be exhaustive.
2. All papers unless specifically required, shall be answered either in English or in Hindi, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English unless specifically allowed to do so.
3. If a candidate's hand-writing is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

4. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all descriptive papers of the examination."

[No. F. 5 (2) DOP/A-2/91]

By Order and in the name of the Governor,
एस. एन. केड़वाल,
Deputy Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.